संख्या: 31/2018/600/छप्पन-2018-81/2013

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2018

विषय: इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि हेतु निर्गत स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 962/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इलाहाबाद में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर कुल 30.3910 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने हेतु राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19.3.2015 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कुल मूल्य रूपये 2,89,21,65,906/- (रूपये दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) हेतु शासनादेश संख्या-21/2016/1817/छप्पन-2015-81/13 दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2018 में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार शासनादेश संख्या-21/2016/1817/छप्पन-2015-81/13 दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल सहर्ष कार्योत्तर अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- प्रश्नगत कार्योत्तर अनुमोदन/स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-7-251/दस-2018, दिनांक 22 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 31/2018/600(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/इलाहाबाद।
(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, इलाहाबाद।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / नियोजन अनुभाग-4
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।